न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी: संजय कुमार गोरा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या: 247/2015
दायर दिनांक: 04.03.2015
निर्णय दिनांक: 22.03.022

उनवान

1. अकबर खां पुत्र अलादीन खां जाति मुसलमान निवासी नागौरी मोहल्ला दौसा तहसील दौसा
2. निवाज खां पुत्र अलादीन खां जाति मुसलमान निवासी नागौरी मोहल्ला दौसा तहसील दौसा
3. अजीज खां पुत्र अलादीन खां जाति मुसलमान निवासी नागौरी मोहल्ला दौसा तहसील दौसा
4. रिजवान खां पुत्र गुलफाम खां जाति मुसलमान निवासी नागौरी मोहल्ला दौसा तहसील दौसा
5. शकील अहमद पुत्र गुलफाम खां जाति मुसलमान निवासी नागौरी मोहल्ला दौसा तहसील दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गणपत सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चावंडेडा तहसील दौसा (फोत)
1.1 नरपत सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चावंडेडा तहसील दौसा।
1.2 विजेन्द्र सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चावंडेडा तहसील दौसा।
1.3 तेजसिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चावंडेडा तहसील दौसा।
1.4 गौरा बाई पुत्री गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चावंडेडा तहसील दौसा।
1.5 लाली बाई पुत्री गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चावंडेडा तहसील दौसा।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र के अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अवगत कराया गया है कि आराजी पूर्व खसरा नंबर 5/19 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 24 रकबा 0.94 हेक्टर है, ग्राम रायपुर तहसील दौसा में स्थित है। उक्त भूमि को वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि अंकित किया जा रहा है। उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के पिता के नाम थी, जिस पर उनके पिता के जीवन काल से काबिज होकर काश्त करते हैं। प्रार्थीगण के अलावा अप्रार्थी या अन्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था का वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा और न आज दिन है। वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ने भूमि एकीकरण कार्यवाही के दौरान अपने नाम गलत अंकित करवा ली। उक्त खातेदारी परिवर्तन की कार्यवाही अनाधिकृत, अवैध, अनियमित एवं अप्रभावी है। प्रार्थीगण का नाम वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में अंकित करवाने को प्रार्थीगण अधिकृत है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अप्रार्थी संख्या 1 से 1.5 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया है कि वह आराजी वादग्रस्त खसरा नंबर 24 रकबा 0.94 हेक्टर वाके ग्राम रायपुर तहसील दौसा पर प्रार्थीगण के कब्जे में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने व प्रार्थी को बलपूर्वक निष्कासन से स्वय, अपने परिजन एवं अपने सेवकों के माध्यम सहित प्रतिबंधित रहे। आराजी वादग्रस्त का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के पक्ष में विक्रय पत्र, बंधक पत्र, दृष्टि बंधक पत्र, दान पत्र, अनुबंध पत्र आदि करने निष्पादित एवं पंजीकृत करवाकर नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:03:45 IST
Reason: SelfAttested

लगातार-2--

खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण नंबर 1 में भूमि पूर्व खसरा नंबर 5/19 हाल खसरा नंबर 24 वाके ग्राम रायपुर में स्थित होना स्वीकार है, शेष अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने अपना केस निहायत ही झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं है, ना ही सुविधा संतुलन की तुला प्रार्थीगण के पक्ष में है और ना किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति ही प्रार्थीगण को है, बल्कि उत्तरदातागण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है। सुविधा संतुलन की तुला प्रत्युत्तरदाता के पक्ष में है। उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की स्थाई या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से भिन्न उत्तरदातागण को अपूर्णीय क्षति होगी। दिनांक 08.07.2007 या किसी भी तारीख को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य किसी भी प्रकार की कोई बातचीत झगड़ा नहीं हुआ। प्रार्थीगण या प्रार्थीगण के बुजुर्ग उक्त भूमि के कभी भी खातेदार काश्तकार नहीं रहे है ना ही कभी कब्जा रहा है और ना ही आज दिन प्रार्थीगण का कब्जा है। गणपत सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उक्त भूमि वर्तमान में गणपत सिंह के पुत्र नरपत सिंह के नाम खातेदारी में इंद्राज है, व उक्त भूमि का आज दिन खातेदार व काबिज काश्तकार नरपत सिंह है। उक्त भूमि डिप्टी कलेक्टर जागीर ने जागीरदार गणपत सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रायपुर को अपने पत्र संख्या 6368/जागीर दिनांक 6.1.1956 के जरिए देकर और मौके पर गणपत सिंह का कब्जा कराया है, तभी से उक्त भूमि पर गणपत सिंह काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। गणपत सिंह ने उक्त भूमि अपने पुत्र नरपत सिंह को दे दी और उसके बाद नरपत सिंह काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व आज भी उक्त भूमि पर मौके पर काबिज है। इस प्रकार जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण खारिज करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से बहस के दौरान बताया गया कि भू–प्रबन्ध विभाग को खातेदारी बदलने का अधिकार नहीं है। अधिकार क्षेत्र के बिना भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा आदेश दिये गये है। वाद उद्घोषणा की कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया है। प्रार्थीगण की ओर से निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गयेः–

1- ***RBJ (4) 1997 Page 167***
2- ***RRT 2009-10 Page 143***
3- ***RRT 2009-10 Page 195***
4- ***RBJ (9) Page 332***

अप्रार्थीगण की ओर से बहस के दौरान बताया गया है कि एकीकरण को साठ साल बाद चुनौती दी गई है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा है तथा खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण की ओर से लगातार भूमि में उनका नाम होने का रिकार्ड पेश नहीं किया गया है। एकीकरण की कार्यवाही को तत्समय चुनौती नहीं दी गई। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, जवाब अप्रार्थीगण एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है:

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>: प्रार्थीगण ने [illegible] भूमि का [illegible] एकीकरण से पूर्व उनके पिता के नाम अंकित होना बताया है। सम्वत [illegible] खां का नाम पूरी दर या गैर रियायत दरों पर लगान चुकाने वाले काश्तकार [illegible] रूप में दर्ज है। उक्त वर्ष के बाद का ऐसा कोई रिकार्ड प्रार्थीगण की ओर से पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:03:45 IST
Reason: SelfAttested

लगातार-3--

खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

कि उक्त भूमि लगातार उनके नाम रही है। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2061 के अनुसार खसरा नम्बर 24 रकबा 0.94 है0 नरपतसिंह पुत्र ठाकुर गणपत सिंह राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर में प्रार्थीगण की खातेदारी सम्बन्धी कोई उल्लेख नहीं है। उक्त भूमि डिप्टी कलक्टर जागीर के पत्र संख्या–6368/जागीर दिनांक 6.01.1956 के जरिये जागीरदार गणपतसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत के नाम आना अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा इसका ना तो खण्डन किया गया है, और ना ही इसको चुनौती दी गई है। वर्तमान में उक्त भूमि पर रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण का कोई उल्लेख नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. <u>सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति:</u> राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं है जिसके कारण सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में साबित नहीं होता है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी गण के पक्ष में साबित नहीं होता है, जिस कारण अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होने की संभावना नहीं है।

चूँकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं है, जिससे उनके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है और सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:03:45 IST
Reason: SelfAttested